मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 (18 पौष, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:11 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

1. शपथ / प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे. तदनुसार, आज 2 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. स्वागत उल्लेख

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री दिग्विजय सिंह, सांसद, श्री सुरेश पचौरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया गया.

3. मुख्य प्रतिपक्षी दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा एवं बधाई

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि वर्तमान विधान सभा के अन्दर प्रतिपक्षी दलों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तथा गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्य संख्या से अधिक हैं, इसलिए मैं, भारतीय जनता पार्टी को सदन का मुख्य प्रतिपक्षी दल और उसके नेता श्री गोपाल भार्गव, सदस्य विधान सभा को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करता हूँ.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री एवं सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने और सदन की ओर से श्री गोपाल भार्गव, सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनने पर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री, सामयिक अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया एवं उल्लेख किया कि मेरे विधायक दल ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की महती जिम्मेदारी वहन करने का भार सौंपा है मै उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं.

4. अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि : -

"श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय." श्री आरिफ अकील, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(2) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -

"श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय." श्री बैजनाथ कुशवाह, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(3) श्री संजीव सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -

"श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय." श्री राजेश शुक्ला "बब्लू भैया", सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(4) श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि : -

"श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय." श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. सीतासरन शर्मा, वरिष्ठ सदस्य ने सामयिक अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि हमारी पार्टी ने भी अध्यक्ष पद के लिए हमारे वरिष्ठ सदस्य कुंवर विजय शाह का नाम प्रस्तावित किया है. मैं चाहता हूं कि वह प्रस्ताव भी आ जाये. आपने सिर्फ चार प्रस्ताव पढ़े हैं और पांचवा प्रस्ताव नहीं पढ़ा है, पहले एक साथ सभी प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाये तभी तो चर्चा हो पाएगी. आपने एक ही व्यक्ति के चार प्रस्ताव रखे है, पांचवा रखा ही नहीं है. जब तक दूसरा नाम सामने नहीं आयेगा, आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली का नियम 7 (4) उद्धृत किया कि "जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है". पांचवा प्रस्ताव तो तब आयेगा जब ये प्रस्ताव असफल होंगे. सदन नियम और कानून से ही चलेगा, नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख है.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – "पहले जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनका निराकरण हो जाये उसके बाद आप अपना प्रस्ताव रखें, तब आपके प्रस्ताव पर विचार होगा. समय सीमा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं वे क्लियर हो जायें तब आपके प्रस्ताव पर नियमानुसार चर्चा की जायेगी. "जो प्रस्ताव पहले रखा गया है नियमानुसार पहले प्रस्ताव पर ही कार्यवाही होगी. चूंकि चारों प्रस्ताव एक ही उम्मीदवार के संबंध में है इसलिए उन्हें एक ही साथ रखा गया है".

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव किया कि श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) वे इस विधान सभा के सदस्य है को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए.

5. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्यगण द्वारा आसंदी द्वारा पांचवा प्रस्ताव न पढ़े जाने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश कर सदन के अंतराल तक नारेबाजी की जाती रही.

व्यवधान के कारण सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 11.29 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.47 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा गर्भगृह में आए प्रतिपक्ष के सदस्यों से अपने अपने आसनों पर बैठने का अनुरोध किया गया.

6. अध्यक्ष का निर्वाचन (क्रमश:)

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि इस सदन में पहले ही दिन लोकतंत्र की हत्या की गई है. संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं है. आसंदी ने 4 प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और हमारा पांचवा प्रस्ताव था उसे रखने की अनुमति नहीं दी. यह अलोकतांत्रिक कार्य है. हम इसका विरोध करते हैं. श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने भी आसंदी से अनुरोध किया कि नियमावली में यह लिखा हुआ है कि सारे प्रस्तावों को क्रमानुसार रखा जायेगा. आपने केवल चार प्रस्ताव पढ़े जबकि हमारा पांचवा प्रस्ताव भी सदन में रखा जाना था.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि " मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि जो प्रस्ताव वैध पाए गए हैं, एक एक कर उसी क्रम में रखे जाएंगे, जिस क्रम में प्रस्तुत किये गये हैं. सदन नियम एवं प्रक्रियाओं से चलता है. विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 7 (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि जो प्रस्ताव वैध पाये गये हैं एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे. जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे. इसी नियम के परिपालन में मेरे द्वारा प्रथम उम्मीदवार के संबंध में प्रथमत: प्राप्त चारों प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत कराया गया है जो कि वस्तुत: एक ही उम्मीदवार का प्रस्ताव है. नियम 7 (4) के अनुसार प्रथम क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव का निराकरण सदन में पहले किया जायेगा. तदुपरांत यदि यह प्रस्ताव अमान्य होता है तो अगले प्रस्ताव को विचार में लिया जायेगा. इसी प्रक्रिया का पालन संसद में भी किया जाता है, जिसके अनुसार ही मेरे द्वारा यह कार्यवाही की गई है. इस प्रस्ताव के निराकरण के उपरान्त कार्यसूची में उल्लेखित प्रस्ताव क्रमांक (5) यदि आवश्यक हुआ, तो उसे लिया जायेगा. अत: दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें.

7. कार्यवाही व्यवधान से स्थगित होना एवं विपक्ष द्वारा बहिष्कार किया जाना

(अत्यधिक व्यवधान के कारण सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 11.51 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.15 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वरिष्ठ आदिवासी नेता का नाम विधान सभा अध्यक्ष के लिये यहां प्रस्तावित तक नहीं करने दिया गया. यह आदिवासियों, लोकतंत्र एवं सदन का अपमान है. इसलिये हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं.

(श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्यगण द्वारा नारेबाजी करते हुए, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया.)

8. अध्यक्ष का निर्वाचन एवं बधाई

डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष ने जो पांचवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर वोटिंग कराकर भी आप (विपक्ष के लिए) डिवीजन मांग सकते हैं. आपके प्रस्ताव को हम सदन में रखने को सहमत हैं. परन्तु डिवीजन की मांग के लिए तैयार होने के बाद भी विपक्ष के पास बहुमत नहीं है इसलिए वे सदन नहीं चलाने देना चाहते हैं. अपनी कमजोरी छिपाने के लिये वह सदन का बहिष्कार कर गये हैं. हम अभी भी कहना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष पुनः सदन में आकर अपना प्रस्ताव रखें, हम वोटिंग के लिये तैयार हैं.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने मत व्यक्त किया कि मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि पहले दिन इस प्रकार का व्यवहार हम सबने देखा. हमारे बहुत नये सदस्य पक्ष-विपक्ष से चुनकर आये हैं, इस प्रकार का उदाहरण बनना हमारे सदन की गरिमा के विपरीत है. नियम हैं, परम्पराएं हैं. नियम का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है. आसंदी ने जो निर्णय दिया था, हम उससे सहमत हैं. विपक्ष आरोप लगाता था कि हमारी अल्पमत की सरकार है. हम तो साबित करना चाहते थे कि यह बहुमत की सरकार है. अध्यक्ष महोदय जो नियमानुसार अध्यक्षीय निर्वाचन की कार्यवाही है, उसका पालन कर शुरूआत करें.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव पर मत लिया कि "श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."

श्री संजीव सिंह "संजू", बहुजन समाज पार्टी के सदस्य द्वारा मत विभाजन करने की मांग की गई. जिस पर सामयिक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - "अध्यक्ष के निर्वाचन में विपक्ष दल द्वारा बहिर्गमन किया गया है, किन्तु स्वस्थ संसदीय परम्परा बनाए रखने के लिए मैंने विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना उचित समझा है. अत: अब मैं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं, निर्णय मत विभाजन द्वारा किया जाएगा".

इस प्रस्ताव पर मत विभाजन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई. (मत विभाजन के पश्चात्) सामयिक अध्यक्ष महोदय ने परिणाम की घोषणा की कि – "प्रस्ताव के पक्ष में कुल 120 मत प्राप्त हुए तथा प्रस्ताव के विपक्ष में कोई मत नहीं पड़े. प्रस्ताव के पक्ष में सदन की सदस्य संख्या के आधे से अधिक मत पड़े.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ."

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया तथा उन्हें अध्यक्षीय आसंदी पर आसीन होने के लिये आमंत्रित किया.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्यमंत्री, सहित सदस्यगण द्वारा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) को अध्यक्ष की आसंदी पर आसन ग्रहण कराया गया.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, श्री संजीव सिंह "संजू", श्री राजेश कुमार शुक्ला "बब्लू भैया", श्री विक्रम सिंह राणा "गुड्डू भैया", ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह "शेरा भैया", डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), अध्यक्ष महोदय को उनके निर्वाचन पर बधाई दी गई.

अध्यक्ष महोदय ने उनके प्रति व्यक्त उदगारों के लिए माननीय सदस्यगण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई.

(अपरान्ह 1.03 बजे से 3.05 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

सदन द्वारा राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई.

9. राज्यपाल महोदया का अभिभाषण

अपराह्न 3.16 बजे, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ. राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के पश्चात् अपराह्न 3.28 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

10. राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

'राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं'

श्री घनश्याम सिंह, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2019 का समय नियत किया गया. तदनुसार, माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन आज दिनांक 8 जनवरी, 2019 को सायंकाल 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिये जा सकते हैं.

11. कार्य मंत्रणा समिति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1) के अधीन कार्य मंत्रणा समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम- निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री
(2) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
(3) डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री
(4) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, संस्कृति मंत्री
(5) श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री
(6) श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(7) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य
(8) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य
(9) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य
(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य
(11) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य
(12) श्री विश्वास सारंग, सदस्य
(13) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य
(14) श्री संजीव सिंह "संजू", सदस्य

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उक्त समिति के सभापति होंगे.

12. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2019 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

अपराह्न 3.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019 (19 पौष, शक सम्वत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 जनवरी, 2019